Regarding issues pertaining to power sector in Azamgarh district, Uttar Pradesh.-laid

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) **:** पिछले वर्ष सात अगस्त को मेरे द्वारा नियम 377 के अंतर्गत बिजली विभाग द्वारा घटिया ट्रांसफर को लेकर सवाल किया किया गया था , जिसमें विभाग द्वारा जवाब आया था कि जले हुए ट्रांसफार्मर को 48 घंटे की निर्धारित समयावधि के अन्दर बदले जा रहें जोकि बिल्कुल ही गलत है मेरे द्वारा विभाग से उन स्थानों की सूची मांगी गई थी जहां 48 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदले गए हैं लेकिन उसकी सूची मुझे आज़ तक विभाग ने नहीं दिया है यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है । साथ ही मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) अंतर्गत आजमगढ़ जिले को 162 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं इस पैसे से अब तक क्या कार्य हुआ है इसकी विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है ।